

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : २१ फरवरी, 2013

विषय: बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु रु० 50.00 लाख से अधिक कुल 04 कार्यों हेतु हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2563 / सी०आर०ए०(दौ०आ०-बाढ़ क्षति० मरम्मत-धन०) / 13, दिनांक- 28 जनवरी, 2013 जो की आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा को सम्बोधित है तथा आयुक्त देवीपाटन मण्डल के पत्र संख्या-172 / आर०ए०-प्रथम / 13 दिनांक 11 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति की बैठक दिनांक 30.11.2012 में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कुल धनराशि रु० 34296000 / - की मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों के रु० 50.00 लाख से अधिक के मरम्मत आदि अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि रु० 1,71,48,000 / - (रूपये एक करोड़ इक्कहत्तर लाख अठतालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क०सं०	विभाग विभाग का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का नाम	मांगी गयी धनराशि (रु० में)	अवमुक्त धनराशि (रु० में)
1	अधिशाली अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर	जनपद बलरामपुर में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अर्वा ड्रेन की पुर्नस्थापना / मरम्मत का कार्य	9665000	4832500

3	अधिशाली अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर	जनपद बलरामपुर में भोजपुर शाहपुर बौध के किमी० 1.800 से 2.200 क माध्य बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त वायर केट कटर के पुर्नस्थापना /मरम्मत का कार्य	6506000	3253000
		जनपद बलरामपुर में भोजपुर शाहपुर बौध के किमी० 6.100 से 6.600 माध्य बाढ़ /अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त वायर कटर के पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	6525000	3262500
1	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि० बलरामपुर	उतरौला फैजाबाद इलाहाबाद राज्यमार्ग सं०-9 किमी० 1 से किमी० 26 स्थित रेहरा बाजार क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य	11600000	5800000
		कुल योग	34296000	17148000

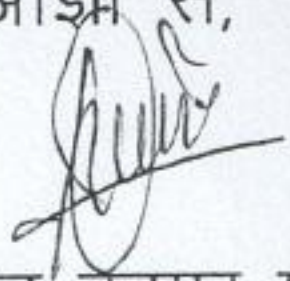
- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

21

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं0 2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

- 8- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(विनोद कुमार शर्मा)
अनुसचिव।